डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

आम जनता जरिये ग्राम पंच पटेलान ग्राम कन्जोली तहसील टोडाभीम

1. समयसिंह पुत्र रामसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र किशन सिंह
3. हरगिलास पुत्र शिवराम
4. प्रेमसिंह पुत्र रजन
5. राजेन्द्र पुत्र हरज्ञान
6. उमराव सिंह पुत्र भरतसिंह
7. हरज्ञान सिंह पुत्र माधोसिंह
8. वीरसिंह पुत्र मांगी
9. मुकुट सिंह पुत्र राजूलाल
10. निहाल सिंह पुत्र भरतसिंह
11. धारासिंह पुत्र भरतसिंह
12. राजवीर पुत्र हरज्ञान
13. महेन्द्र सिंह पुत्र हरज्ञान
14. दरब सिंह पुत्र धनसिंह
15. रजनसिंह पुत्र रामधन
16. वीकेश पुत्र समयसिंह
17. राजूलाल पुत्र रामसिंह

समस्त जाति गुर्जर
निवासी ग्राम कन्जोली
तहसील टोडाभीम

वादीगण

वनाम

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0
2. नायब तहसीलदार उपतहसील बालघाट, जिला करौली राज0
3. जिला कलक्टर गंगापुर सिटी राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट 136 एल0आर. एक्ट

मु0न0ः– 28 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

ग्राम कन्जोली के आराजी खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 ग्राम कन्जोली तहसील टोडाभीम की वर्तमान किस्म चाही–2 को हजफ कर रकवा 0.47 है0 में गैरमुमकिन तलाई एवं रकवा 0.02 है0 में देवस्थान किस्म दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 898 में दर्ज किस्म चाही–2 को इजाफा किया जाता है।

तहसीलदार बालघाट उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के

मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............

अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ..28.1.26.. को जारी

की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	[illegible]	[illegible]
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 28 / 2024 तारीख रजू :– 14.03.2024

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

आम जनता जरिये ग्राम पंच पटेलान ग्राम कन्जोली तहसील टोडाभीम

1. समयसिंह पुत्र रामसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र किशन सिंह
3. हरगिलास पुत्र शिवराम
4. प्रेमसिंह पुत्र रजन
5. राजेन्द्र पुत्र हरज्ञान
6. उमराव सिंह पुत्र भरतसिंह
7. हरज्ञान सिंह पुत्र माधोसिंह
8. वीरसिंह पुत्र मांगी
9. मुकुट सिंह पुत्र राजूलाल
10. निहाल सिंह पुत्र भरतसिंह
11. धारासिंह पुत्र भरतसिंह
12. राजवीर पुत्र हरज्ञान
13. महेन्द्र सिंह पुत्र हरज्ञान
14. दरब सिंह पुत्र धनसिंह
15. रजनसिंह पुत्र रामधन
16. वीकेश पुत्र समयसिंह
17. राजूलाल पुत्र रामसिंह

समस्त जाति गुर्जर
निवासी ग्राम कन्जोली
तहसील टोडाभीम

वादीगण

वनाम

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0
2. नायब तहसीलदार उपतहसील बालघाट, जिला करौली राज0
3. जिला कलक्टर गंगापुर सिटी राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकराररहक इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट 136 एल0आर. एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट वादीगण

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी नं0 1 ता 3

निर्णय दिनांकः– 28·01·26

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आराजी खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 किस्म चाही–2 कन्जोली तहसील टोडाभीम में स्थित है जो साविक खसरा नम्बर 781 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा किस्म

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गै0मु0 तलाई, खसरा नम्बर 783 रकवा 02 विस्वा किस्म देवस्थान से कायम किया गया है। उक्त भूमि सरकारी भूमि है जिससे किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है।

खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 आराजी किस्म चाही–2 वर्तमान में दर्ज है जो गलत है। खसरा नम्बर 781 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा गैरमुमकिन तलाई एवं खसरा नम्बर 783 रकवा 02 विस्वा देवस्थान के रूप में दर्ज रही है और आज भी साविक रिकार्ड में यह इन्द्राज दर्ज है परन्तु सेटमेन्ट ऑपरेशन के दौरान रेवेन्यू कर्मचारियों के द्वारा हाल खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 की किस्म बदल कर चाही–2 कर दी है जो गलत है एवं साविक दोनो खसरा नम्बर की किसम गैरमुमकिन तलाई एवं देवस्थान को हजफ कर दिया और साविक दोनों नम्बरों का एक नम्बर 898 कायम कर दिया एवं उसकी किस्म बदल दी जो गलत है। वर्तमान रिकार्ड में साविक रिकार्ड के अनुसार हाल खसरा नम्बर के बटे नम्बर कायम कर 0.47 है0 में किस्म गैरमुमकिन तलाई की जावे एवं 0.02 है0 में देवस्थान किस्म दर्ज किया जावे। इस प्रकार की दुरूस्ती फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। खसरा नम्बर 898 आम जनता ग्राम कन्जोली के लोगों के पशुओं के तलाई उपयोग उपभोग में आती है एवं 2 विस्वा भूमि जो कि साविक रिकार्ड में दर्ज है में देवस्थान के रूप में आ रही है जो कि आम जनता कन्जोली के लागों की धार्मिक आस्था का विषय है। इस कारण वर्तमान खसरा नम्बर को दुरूस्ती कर परिवर्तन कर साविक रिकार्ड के अनुसार हाल रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वांका दिनांक 01.03.2024 का है आम जनता के लोग प्रतिवादी नं0 1 के कार्यालय में जाकर मिले जहां प्रतिवादी नं0 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में वादपत्र पेश करने की हिदायत देने के कारण दावा हाजा श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है, जिसकी सुनवाई व समायत का अधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 ग्राम कन्जोली तहसील टोडाभीम की वर्तमान किस्म चाही–2 को हजफ कर 0.47 है0 में गैरमुमकिन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

तलाई एवं 0.02 है0 में देवस्थान किस्म दर्ज कर वर्तमान खसरा नम्बर के साविक रकवे के हिसाब से बटा नम्बर कायम कर इन्द्राज दुरूस्ती फरमाई जावे एवं वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 898 में दर्ज किस्म चाही-2 को हजफ किया जावे। इस प्रकार की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम कन्जोली सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 किस्म चाही-2 राजकीय सिवायचक भूमि रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक गिलान क्षेत्रफल बन्दोवस्त विभाग साविक खसरा नम्बर 791 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा व 783 रकवा 2 विस्वा के नवीन खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 कायम किये गये है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2038-41 के खाता संख्या 1 जलोढ भूमि में दर्ज साविक खसरा नम्बर 781 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा किसम गै0मु0 तलाई तथा देवस्थान भूमि में दर्ज साविक खसरा नम्बर 783 रकवा 2 विस्वा किस्म देवस्थान की भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक साविक खसरा नम्बर 781 व 783 से बने नवीन खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 किसम चाही-2 बंदोवस्त विभाग द्वारा स्थापित किये गये है।

मैने वादी वकील की बहस सुनी अधिवक्ता वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 आराजी किस्म चाही-2 वर्तमान में दर्ज है जो गलत है। खसरा नम्बर 781 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा गैरमुमकिन तलाई एवं खसरा नम्बर 783 रकवा 02 विस्वा देवस्थान के रूप में दर्ज रही है और आज भी साविक रिकार्ड में यह इन्द्राज दर्ज है परन्तु सेटमेन्ट ऑपरेशन के दौरान रेवेन्यू कर्मचारियों के द्वारा हाल खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 की किस्म बदल कर चाही-2 कर दी है जो गलत है एवं साविक दोनो खसरा नम्बर की किसम गैरमुमकिन तलाई एवं देवस्थान को हजफ कर दिया और साविक दोनों नम्बरों का एक नम्बर 898 कायम कर दिया एवं उसकी किस्म बदल दी जो गलत है। वर्तमान रिकार्ड में साविक रिकार्ड के अनुसार हाल खसरा नम्बर के बटे

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नम्बर कायम कर 0.47 है0 में किस्म गैरमुमकिन तलाई की जावे एवं 0.02 है0 में देवस्थान किस्म दर्ज किया जावे। पेराकार सरकार ने कथन किया कि मुताबिक साविक खसरा नम्बर 781 व 783 से बने नवीन खसरा नम्बर 898 रकबा 0.49 है0 किस्म चाही–2 बंदोवस्त विभाग द्वारा स्थापित किये गये है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन एवं तहसीलदार बालघाट की स्पष्ट है कि मुताबिक साविक खसरा नम्बर 781 व 783 से बने नवीन खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 किसम चाही–2 बंदोवस्त विभाग द्वारा स्थापित किये गये है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम कन्जोली के आराजी खसरा नम्बर 898 रकवा 0.49 है0 ग्राम कन्जोली तहसील टोडाभीम की वर्तमान किस्म चाही–2 को हजफ कर रकवा 0.47 है0 में गैरमुमकिन तलाई एवं रकवा 0.02 है0 में देवस्थान किस्म दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। वर्तमान जमाबन्दी में ख़सरा नम्बर 898 में दर्ज किस्म चाही–2 को हजाफ किया जावे। तहसीलदार बालघाट उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करे। डिकी जारी हो

यह निर्णय दिनांक 28.1.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(आगन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली